



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक- 09.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 268/26 धारा 103(1) बीएनएस में प्रकाश में आए हत्यारोपी 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायल अवस्था में) व अन्य 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मो0सा0 स्प्लेण्डर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.05.26 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी चन्दरपाल पुत्र भूले निवासी बाग बस्ती निरोजपुर रोड कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- धर्मेन्द्र पुत्र पूरण 2- पूरण पुत्र

नामालूम व 01 युवती निवासी अज्ञात द्वारा आवेदक के भाई कृष्ण की हत्या कर दी गई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 268/26 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 268/26 धारा 103(1) बीएनएस में प्रकाश में आए हत्यारोपी 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायल अवस्था में) व अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मो0सा0 स्प्लेण्डर नं0 UP-17AA-5499 बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तगण 1. धर्मेन्द्र पुत्र पूरण, 2. पूरण पुत्र नामालूम एवं 01 अज्ञात युवती निवासी अज्ञात की नामजदगी गलत पाई गई। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1. समीर उर्फ छोटू उर्फ नूर मोहम्मद पुत्र अलीजान निवासी हरिजन बस्ती वार्ड नं० 2 निरोजपुर रोड बागपत तथा 2. नूर मोहम्मद उर्फ छोटू पुत्र दिलशाद निवासी आयशा कॉलोनी बागपत के नाम प्रकाश में आए हैं।

घटनास्थल/ गिरफ्तारी स्थान- दिनांक 09-05-2026 समय 00.15 बजे बाघू से सिसाना वाले रास्ते पर थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. समीर उर्फ छोटू उर्फ नूर मोहम्मद पुत्र अलीजान निवासी निरोजपुर रोड कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत। (घायल अवस्था में)
2. नूर मोहम्मद उर्फ छोटू पुत्र दिलशाद निवासी आयशा कालोनी कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त समीर उर्फ छोटू उर्फ नूर मौहम्मद का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 575/2024 धारा 147, 148, 308, 323, 336, 427, 504, 506
भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 176/2017 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर
जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर ।
- 01 मो0सा0 स्प्लेण्डर नं0 UP-17AA-5499

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-



- 1-प्र0नि0 श्री ब्रजेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री संजय सिंह सर्विलांस प्रभारी मय टीम जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 492 विकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 652 मोहित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 9-है0का0 351 पवन नागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 10-है0का0 816 शौकेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 11-का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 12-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 13-का0 165 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनाँक 09.05.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 133/2026 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 5(L)/6 पोक्सो एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 133/2026 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 5(L)/6 पोक्सो एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रजत पुत्र ओमपाल निवासी पट्टी छिजाना करबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 पुष्पराज विश्वाई थाना दोघट जनपद बागपत
2. उ0नि0 मोहित चौहान थाना दोघट जनपद बागपत ।
3. है0का0 289 शैलेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
4. है0का0 706 दयाचन्द थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 09.05.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 74/26 धारा 191(2)/191(3)/190 /109(1)/131/115(2) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.03.2026 को थाना बिनौली पर वादी आस मोहम्मद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.समीर पुत्र समेदीन, 2.सोनू पुत्र खचेडू, 3.अमीर पुत्र समेदीन, 4.रोहित पुत्र सलीम, 5.मोसीन पुत्र काले,



6.सलीम पुत्र नजबूदीन निवासीगण ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर उसपर जान से मारने की नीयत से हमला कर मारपीट की गई, जिसमें वादी तथा उसके पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 74/26 धारा 191(2)/191(3)/190/ 109(1)/131/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा

थाने के मु0अ0सं0 74/26 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/131/115(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मोहसीन पुत्र काला निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास.....

1.मु0अ0सं0 903/20 धारा 364-A, 392, 411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

2.मु0अ0सं0 260/21 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत ।

3.मु0अ0सं0 280/25 धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।


4.मु0अ0सं0 74/26 धारा 191(2)/191(3)/190 /109(1)/131/115(2) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली ।

2-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली ।

3- रि0का0 492 जोगेन्द्र थाना बिनौली ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 09.05.2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 105/26 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदाही पर आला कलत एक डण्डा व एक लोहे की रॉड बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.05.2026 को थाना छपरौली पर वादी श्री ब्रहमपाल पुत्र श्री इन्द्र सिंह निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.अमित पुत्र आन्नद, 2.मोहित



पुत्र आन्नद, 3.आन्नद पुत्र सुखवीर व 4.काला उर्फ कपिल पुत्र पवन समस्त निवासीगण ग्राम नांगल थाना छपरौली जिला बागपत द्वारा वादी के भतीजे दीपक पुत्र शीशपाल उम्र करीब 27 वर्ष की षड़यन्त्र कर लोहे की रॉड व डण्डो से पीटकर हत्या कर दी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 105/26 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट- वादी मुकदमा के भतीजे दीपक पुत्र शीशपाल की दुकान से अमित पुत्र आन्नद ने पूर्व में कोई सामान लिया था जिसके सम्बन्ध में मृतक दीपक व अमित का आपस में विवाद हो गया था जिसे गाँव वालों ने मौके पर ही सुलझाकर दोनो का फैसला करवा दिया था इसी बात को लेकर दिनांक 08-05-2026 को अभियुक्तगण 1.अमित पुत्र आन्नद 2. मोहित पुत्र आन्नद 3. आन्नद पुत्र सुखवीर 4. काला उर्फ कपिल पुत्र पवन द्वारा लोहे की

रॉड व लाठी डण्डो से दीपक के साथ मारपीट की गई जिसमें दीपक के सिर में लोहे की रॉड लगने के कारण मौके पर ही उसकी मृत्यू हो गयी थी।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 105/26 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदाही पर आलाकत्ल लोहे की 01 रॉड व 01 डण्डा बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अमित पुत्र आनन्द निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत।
2. आनन्द पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- अभियुक्तों की निशांदाही पर आलाकत्ल लोहे 01 रॉड व लकड़ी का 01 डण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री आशीष कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-उ०नि० श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3-उ०नि० श्री वृक्षपाल थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 4-है०का० 213 मोहित सैनी थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 5-रि०का० 107 अमन कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 09.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने जुआ की खाई बाडी करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 770/- रुपये बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 770/- रुपये बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. नाजिम पुत्र हासम निवासी चीलघर रोड कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2. आदिल पुत्र शौकीन निवासी चीलघर रोड कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
3. शान पुत्र शहजाद निवासी मौ0 माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते ।
- 770/- रुपये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 652 मोहित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-का0 250 कोमल चौधरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 09.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 615/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/333/76/117(2)/109 बीएनएस में 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.10.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी रामलखन पुत्र लक्ष्मण, निवासी ग्राम नया गाँव उर्फ हमीदाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. शिवा पुत्र संदीप, 2. सोनी पुत्री संदीप, 3. 01 महिला निवासीगण कुण्डली, नई दिल्ली, 4. देवेन्द्र पुत्र लखमीचन्द, 5. बन्टी पुत्र देवेन्द्र, 6. आशु पुत्र देवेन्द्र, 7. कमलेश पुत्र प्रदीप, 8. प्रदीप पुत्र सुरेशपाल, 9. सोनू पुत्र सुरेशपाल,



10. जोनी पुत्र विजयपाल, 11. राहुल पुत्र राजकुमार, 12. मोहित पुत्र राजकुमार, 13. सुरेशपाल पुत्र वीर सिंह, 14. रवि पुत्र राजकुमार, निवासी ग्राम नया गाँव, हमीदाबाद, 15. पवन पुत्र हरिचन्द, निवासी जनपद गाजियाबाद एवं 16. 02 अज्ञात ने वादी के घर में घुसकर वादी की माता के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की। इस दौरान वादी की माता के कपड़े फाड़ दिए गए तथा उनके सिर पर वार किया गया। मारपीट

में वादी के भाई गौरव के दांत और जबड़ा टूट गया, रामलखन का कान कट गया तथा वादी की माता और लक्ष्मण को गंभीर चोटें आईं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 615/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/333/76/117(2)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 31-12-2026 को 01 अभियुक्त मोहित पुत्र राजकुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही-


बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 615/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/333/117(2)/109 BNS में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जोनी पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम नयागांव हमीदाबाद थाना व जिला बागपत उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2- है0का0 151 संदीप दहिया थाना बागपत जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 09.05.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान जुआ/सट्टा खेलते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 2000 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान जुआ/सट्टा खेलते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 2000 रुपये नगद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. दिलशाद पुत्र नूरदीन निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 44 वर्ष ।
2. पंकज उर्फ पवनीश पुत्र किरनपाल सिंह निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 39 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते ।
- 2000/- रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2. उ०नि० ०९२ रोजीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3. रि०का० 203 गोविन्द कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4. रि०का० 238 सुधांशू शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 09.05.2026

थाना बिनौली पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1. दीपक पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर पुड्डी थाना बिनौली जनपद बागपत।
2. दीपक पुत्र कासी नि० ग्राम फतेहपुर पुड्डी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री विकास कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2.का० 574 ओमप्रकाश थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना- सिंघावली अहीर दिनांक -09.05.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0- 161/26 धारा
109(1)/123/ 351(3)/352 BNS व 3(2)(V) SC/ST एक्ट में वांछित 01
अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 161/26 धारा 109(1)/123/351(3) बीएनएस व 3(2)(V) SC/ST एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

सुहैल पुत्र छोटे निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 शीलेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 546 विपिन सिरौही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-रि0 आरक्षी 302 अजय कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।